न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/39

मिसल नम्बर– 9 / 2025

1.श्रीमती निधी रानी पत्नी स्व0 श्री कन्हैयालाल उम्र 62 वर्ष निवासी 123 बैकुंठपुरी राजनगर कोटा

प्रार्थीगण।

बनाम

1.गौरव कुमार पुत्र स्व0 कन्हैयालाल उम्र 36 वर्ष
2.सोनाली गौतम पत्नी श्री गौरव कुमार गौतम उम्र 34 वर्ष
3.सौरभ गौतम पुत्र श्री स्व0 कन्हैयालाल उम्र 30 वर्ष निवासीगण 123 बैकुंठपुरी राजनगर कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 6/11/25

उपस्थितिः–

1.श्री हर्षित गौतम प्रार्थी अधिवक्ता
2.श्री राजेन्द्र राठौर अप्रार्थी नं0 2 अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया एक वृद्ध महिला हैं और प्रार्थीया के अप्रार्थी नं. 1 व 3 उनके पुत्र व अप्रार्थी नं. 2 पुत्रवधू हैं। प्रार्थीया वृद्धावस्था जनित बिमारियों से ग्रसित है। प्रार्थीया के पति की स्वर्जित आय से खरीदशुदा मालिकाना स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक मकान जिसकी पैमाईश 25 गुणा 25 वर्गफुट वाके म.नं. 123, बैकुंठपुरी, राजनगर, रायपुरा, कोटा (राज.) में स्थित हैं। जिसमें भूतल पर प्रार्थीया अप्रार्थी नं. 3 के साथ जो कि प्राइवेट कार्यरत हैं मय परिवार निवास करते हैं तथा प्रथम तल पर अप्रार्थी नं. 1 व 2 जो कि राजकीय सेवा में कार्यरत हैं अपनी पुत्री प्रिशा के साथ प्रार्थीया की सहमति व अनुमति से पिछले 3 वर्षो से लाईसेंसी के रूप में निवास करते चले आ रहे हैं। अप्रार्थी नं. 2, प्रार्थीया से आए दिन छोटी–छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा कर गाली– गलौच कर अभद्र व्यवहार किया जाता है तथा घर से बाहर निकालने की कोशिश की जाती हैं जबकि उक्त मकान प्रार्थीया के स्वामित्व का हैं तथा प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी नं. 1 से देखभाल, घरेलू खर्च व भरण पोषण हेतु राशि अदा करने के लिए कहा जाता हैं तो अप्रार्थी नं. 2 द्वारा प्रार्थीया से मारपीट करने पर आमादा हो जाते हैं और अप्रार्थी नं. 1, अप्रार्थी नं. 2 के बहकावे में आकर तथा उसके

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

कहने में आकर प्रार्थीया की देखभाल नहीं करते हैं, ना ही प्रार्थीया को भोजन खाना आदि देते हैं एवं प्रार्थीया की तबियत खराब होने पर उनका ईलाज भी नहीं करवाते हैं जबकि प्रार्थीया वृद्धावस्था जनित बीमारियों से ग्रसित हैं एवं उन्हें वृद्धावस्था में अत्यधिक कठिनाईयों एवं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं। अप्रार्थी नं. 3 की पत्नी भी वर्तमान में अन्यत्र अपने पीहर में निवास करने के कारण अप्रार्थी नं. 2 प्रार्थीया के उक्त स्वामित्व के मकान पर कब्जा करने के उद्देश्य से प्रार्थीया को मानसिक व शारिरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा हैं। जिससे प्रार्थीया को स्वयं के निवास में ही रहकर मानसिक आघात एवं संताप झेलने को मजबूर होना पड़ रहा हैं तथा अपनी छोटी–छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरों के आगे हाथ फैलाने को मजबूर होना पड़ रहा हैं। अप्रार्थी नं. 1 अपने पिता स्व. श्री कन्हैयालाल के देहान्त के पश्चात उनकी राजकीय सेवा के स्थान पर अनुकम्पा नियुक्ति राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम, सकतपुरा, कोटा कार्यालय में लिपिक के पद पर प्राप्त की गई है। जिससे अप्रार्थी को अच्छा खासा वेतन प्राप्त हो रहा हैं इसके बावजूद अप्रार्थी, प्रार्थीया के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हुए प्रार्थीया की सार संभाल नहीं कर रहे हैं एवं प्रार्थीया के मालिकाना स्वामित्व के उक्त मकान से उन्हें बेदखल करने पर आमादा हैं। प्रार्थीया, सामाजिक, आर्थिक एवं शारिरिक रूप से कमजोर होने के कारण अप्रार्थीगण का बलपूर्वक सामना करने में असमर्थ हैं तथा उनके अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य से प्रार्थीया को जान–माल का पूर्ण खतरा बना हुआ हैं तथा दहशत में प्रार्थीया को जीवन व्यतीत करना पड़ रहा हैं। अप्रार्थीया नं. 2 के लगातार उक्त क्रूरतापूर्ण व अभद्र व्यवहार मारपीट एवं गाली–गलौच के सम्बन्ध में प्रार्थीया द्वारा कई बार थाना बोरखेड़ा, कोटा शहर में शिकायत की गई परन्तु पुलिस द्वारा पारिवारिक मामला बताते हुए आपसी समझाईश करवाते हुए कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई तथा दिनांक 11.10.2024 को अप्रार्थी नं. 2 द्वारा प्रार्थीया से लड़ाई झगड़ा करते हुए प्रार्थीया का हाथ तोड़ दिया जिससे प्रार्थीया के हाथ में फ्रेक्चर होने पर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी नं. 2 को माननीय न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा द्वारा शांति भंग में 6 माह के लिए पाबन्द भी किया गया हैं। प्रार्थीया वृद्ध बीमार एवं वरिष्ठ नागरिक हैं जो कि अपने स्वामित्व के मकान में अपना सम्पूर्ण जीवन शांतिपूर्वक रहकर व्यतीत करना चाहती हैं जो कि प्रार्थीया का सिविल अधिकार हैं । अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया को सुख सुविधाओं, रहन, सहन, भोजन/चिकित्सा भरण पोषण आदि मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर रखा हैं तथा प्रार्थीया के मकान पर कब्जा कर उसे बेदखल करने पर आमादा हैं। जिनका उन्हें कोई भी विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। इस कारण यह प्रार्थना पत्र सम्मानीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया के मकान नं. 123, बैकुंठपुरी, राजनगर, कोटा राजस्थान में प्रथम मंजिल पर अप्रार्थीगण का कब्जा हैं। इस परिसर से अप्रार्थीगण को बेदखल कर उनका भौतिक कब्जा प्रार्थीया को अविलम्ब दिलवाये जाने हेतु आदेश पारित करें। साथ ही अप्रार्थीगण से प्रार्थीया को भरण पोषण, भोजन एवं चिकित्सा हेतु प्रतिमाह 20,000/– रुपये दिलवाये जाने के लिए आदेश पारित करें तथा अप्रार्थीया को पाबन्द किया जावें कि वे इस

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

मकान में प्रार्थीया को बेदखल करने का प्रयास नहीं करें एवं कब्जा करने का प्रयास नहीं करें तथा प्रार्थीया को मकान में शांतिपूर्ण निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तामील अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 उपस्थित नही हुये अतः बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी नं0 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उक्त निवास स्थान अप्रार्थिया क्रम 2 123, बैकुण्ठपुरी, राजनगर, रायपुरा, कोटा (राज०), अप्रार्थिया क्रम 2, का वैवाहिक/कुटुम्ब/साझा घर है। जिसमें अप्रार्थिया क्रम 2, को घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम के तहत परिभाषित वैवाहिक/कुटुम्ब/साझा घर में कानूनन तौर पर निवास करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रार्थिया के द्वारा दिनांक 11.10.2024 को जिस घटना का वर्णन अप्रार्थिया क्रम 2, के द्वारा कारित करना बताया गया है वह पूर्णतया कपोल कल्पित एवं बनावटी है, जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि अप्रार्थी क्रम 2, के साथ प्रार्थिया व अप्रार्थी क्रम 1 व 3, के द्वारा एकराय होते हुए अप्रार्थिया क्रम 2, को जान से मारने की नीयत से डंडों व लातों घूंसों से मारपीट की गई जिससे बचने के लिए जब अप्रार्थिया क्रम 2, गेट से बाहर जाने लगी तो प्रार्थिया के द्वारा उसे रोकने के लिए दरवाजा जोर से बन्द किया जिसमें प्रार्थिया का हाथ आ गया और फ्रेक्चर हो गया। प्रार्थीया के पास उक्त मकान में किराये की राशि प्रतिमाह प्राप्त होती है जिसे स्वयं प्रार्थियाः रखती है। इसके अतिरिक्त प्रार्थिया के द्वारा अपने पति व अप्रार्थीया क्रम 2 के श्वसुर स्व0 श्री कन्हैया लाल जी, के डेथ क्लेम की राशि को भी स्वयं के पास रख लिया है, जिससे प्रार्थिया का पूर्ण रूप से गुजर बसर हो सकता है। किन्तु फिर भी अप्रार्थिया क्रम 2, अपने सामर्थ्य अनुसार प्रार्थिया की सम्पूर्ण देखभाल इत्यादि करती चली आ रही है। प्रार्थिया के द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी क्रम 1 व 3, के साथ मिलीभगत कर मिथ्या तथ्यों पर आधारित अप्रार्थिया क्रम 2, को येन–केन प्रकारेण घर से भगाने के लिए प्रस्तुत किया है। जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि प्रार्थिया एवं अप्रार्थी क्रम 1 व 3, ने एकराय होते हुए मिलीभगत कर दहेज की मांग करते हुए अप्रार्थीया क्रम 2, के साथ बुरी तरह से लातो–घूंसों एवं डंडों से मारपीट की एवं आए दिन उसको जान से मारने की नियत से उसके विरूद्ध नए नए षड़यंत्र रचते रहते है। जिसके चलते प्रार्थिया व अप्रार्थी क्रम 1 व 3 ने आपस में एक राय होकर पुनः प्रार्थिया के साथ बुरी तरह से लात घूसों से मारपीट की और प्रार्थिया को जान से मारने की नियत से प्रार्थिया का सिर अप्रार्थी क्रम 1, ने दीवार पर मार दिया, जिससे सिर में अंदरूनी संघातक चोटे आई साथ ही सीधे पैर के घुटने तथा शरीर के अन्य भागों में अंदरूनी चोट कारित करते हुए प्रार्थिया का समस्त स्त्रीधन व अन्य कीमती सामान छीनकर निकाल दिया गया। जिसके संबंध में प्रार्थिया व अप्रार्थी क्रम 1 व 3, के विरूद्ध एक परिवाद अन्तर्गत धारा– 12, 18, 19, 20, 21, 22, व 23(2), के अधीन घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम –2005 का

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–2, कोटा में जैरकार है, जिसमें अन्तरिम भरण पोषण राशि एवं वैवाहिक/कुटुम्ब/साझा घर में निवास करने का अन्तरिम अनुतोष अप्रार्थिया क्रम 2, को प्राप्त हो गया तो प्रार्थिया व अप्रार्थी क्रम 1 व 3 अप्रार्थिया क्रम 2, को उक्त म०नं0 123. बैकुण्ठपुरी, राजनगर, रायपुरा कोटा (राज०) से कानूनन तौर पर बेदखल नहीं कर सकेंगें जिसके संबंध में विभिन्न उच्च न्यायालयों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय का भी स्पष्ट दिशा–निर्देश एवं न्यायिक दृष्टांत है कि– बहू को उसके वैवाहिक गृह से अथवा साझा घर से बेदखल नहीं किया जा सकता। भले ही उसके उस साझा घर में कोई अधिकार न हो तथा साथ ही यदि जिस सम्पत्ति से बहू को बेदखल करना चाहते है वह सम्पत्ति वरिष्ठ नागरिक की स्वअर्जित सम्पत्ति होना चाहिए। उक्त तथ्य के चलते प्रार्थिया के द्वारा अप्रार्थी क्रम 1 व 3, के साथ मिलीभगत कर मिथ्या तथ्यों पर आधारित उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थिया क्रम–2, के द्वारा माननीय न्यायालय पारिवारिक न्यायाधीश क्रम 1, कोटा राजस्थान में भी एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–144, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अप्रार्थी क्रम 1, के विरूद्ध प्रस्तुत कर रखा है, जो वर्तमान में जैरकार है। उक्त प्रकरण में भरण–पोषण की अदायगी से बचने के लिए प्रार्थिया के साथ मिलीभगत कर उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थिया क्रम 2, के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी क्रम 1, के विरूद्ध थाने में मारपीट एवं झगड़े की रिपोर्ट अप्रार्थीया क्रम 2, द्वारा लिखाने पर दिनांक 1.10.2022 को अप्रार्थिया क्रम 2, को थाने में एक शपथ–पत्र इस आशय का राजीनामा स्वरूप दिया था कि मैं और मेरी पत्नि मेरे पैतृक मकान की दुसरी मंजिल पर अलग से रहेंगें जहां पर मेरे घरवालों माता, बहन, भाई आदि का आना–जाना नहीं रहेगा तथा मेरी पत्नी के साथ किसी भी परिस्थिति मे गाली गलौच या मारपीट नहीं करूंगा और हमारे आपसी मन–मुटाव या झगड़ा होने की स्थिति में मेरे घर वाले एवं ससुराल वालों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और हम दोनों आपस में निस्तारण करेंगे जिसका इन्द्राज दिनेश कुमार रावल नोटेरी के रजिटर क्रमांक 1041 पर दर्ज है। उक्त शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों से बचने के लिए अप्रार्थी क्रम 1 व 3 के द्वारा प्रार्थीया के साथ मिलीभगत कर उक्त प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्योंपर आधारित माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया के उपरांत पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। उभयपक्ष की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत की। प्रार्थीया की ओर से दस्तावेज प्रार्थी मकान दस्तावेज प्रति, समस्त बीमारियों के पर्चे मय दवाईयॉ बिल प्रति पेश किये। अप्रार्थी नं0 2 की ओर से फर्द दस्तावेज प्रार्थना पत्र धारा 144 बीएनएसएस, आवेदन पत्र धारा 12 घेरलू हिंसा अधिनियम की प्रति, फोटाग्राफ मारपीट सोनाली गौतम, मेडिकल महिला थाना शहर कोटा, अन्य मेडिकल रिपोर्ट, शपथ पत्र राजीनामा गौरव कुमार, प्रार्थना पत्र शिकायते थाना बोरखेड़ा थाना महिला थाना कोटा पेश की।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया। प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अप्रार्थी नं. 2, प्रार्थीया से आए दिन छोटी–छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा कर गाली– गलौच कर अभद्र व्यवहार किया जाता है तथा घर से बाहर निकालने की कोशिश की जाती हैं जबकि उक्त मकान प्रार्थीया के स्वामित्व का हैं तथा प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी नं. 1 से देखभाल, घरेलू खर्च व भरण पोषण हेतु राशि अदा करने के लिए कहा जाता हैं तो अप्रार्थी नं. 2 द्वारा प्रार्थीया से मारपीट करने पर आमादा हो जाते हैं और अप्रार्थी नं. 1, अप्रार्थी नं. 2 के बहकावे में आकर तथा उसके कहने में आकर प्रार्थीया की देखभाल नहीं करते हैं, ना ही प्रार्थीया को भोजन खाना आदि देते हैं एवं प्रार्थीया की तबियत खराब होने पर उनका ईलाज भी नहीं करवाते हैं। प्रार्थीया के उक्त कथनों का खण्डन करते हुये अप्रार्थी नं0 2 द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थिया व अप्रार्थी क्रम 1 व 3 ने आपस में एक राय होकर अप्रार्थीया के साथ बुरी तरह से लात घूसों से मारपीट की और अप्रार्थीया को जान से मारने की नियत से प्रार्थिया का सिर अप्रार्थी क्रम 1, ने दीवार पर मार दिया, जिससे सिर में अंदरूनी संघातक चोटे आई साथ ही सीधे पैर के घुटने तथा शरीर के अन्य भागों में अंदरूनी चोट कारित करते हुए अप्रार्थिया का समस्त स्त्रीधन व अन्य कीमती सामान छीनकर निकाल दिया गया। जिसके संबंध में प्रार्थिया व अप्रार्थी क्रम 1 व 3, के विरूद्ध एक परिवाद अन्तर्गत धारा– 12, 18, 19, 20, 21, 22, व 23(2), के अधीन घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 का न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 2, कोटा में जैरकार है। अप्रार्थिया क्रम 2, के द्वारा माननीय न्यायालय पारिवारिक न्यायाधीश क्रम 1, कोटा राजस्थान में भी एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अप्रार्थी क्रम 1, के विरूद्ध प्रस्तुत कर रखा है। प्रार्थीया की ओर से अपने कथनों के समर्थन में मेडिकल इन्जरी रिपोर्ट पेश की गई साथ ही अप्रार्थीया नं0 2 की ओर से मारपीट से सम्बंधित फोटोग्राफ पेश किये गये है। उक्त के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट नही कहा जा सकता है कि अप्रार्थीया नं0 2 द्वारा प्रार्थीया के साथ मारपीट एवं लड़ाई झगड़ा किया जाता है। चूंकि अप्रार्थी नं0 2 के द्वारा भी परिवाद घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 अन्तर्गत धारा 12, 18, 19, 20, 21, 22, व 23(2), न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 2, कोटा में प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें निर्णय होना शेष है। अप्रार्थीया नं0 2 द्वारा प्रार्थीया को प्रताडित किया जाता है या प्रार्थीया एवं अप्रार्थी नं0 1 व 3 द्वारा अप्रार्थीया नं0 2 को प्रताडित किया जाता है इस तथ्य का निर्धारण सिविल कोर्ट द्वारा किया जायेगा। इस बिन्दु का निर्धारण इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से किया जाना न्यायोचित नही पाते है। पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेज परिवाद घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 अन्तर्गत धारा 12, 18, 19, 20, 21, 22, व 23(2), एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रति के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि प्रार्थीया के पुत्र (अप्रार्थी नं0 1) एवं पुत्रवधु (अप्रार्थीया नं0 2) के मध्य संबंध मधुर नही है जिस कारण से अप्रार्थीया नं0 2 द्वारा किये गये कथन उचित प्रतीत होते है कि प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के साथ मिलीभगत

कर अप्रार्थी संख्या 2 को नाजायज रूप से परेशान करने की नीयत से यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल किये जाने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नही है। जिस कारण से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम स्वीकार कर अप्रार्थीगण को उक्त मकान मकान नं0 233 आदर्श नगर खेड़ली फाटक कोटा से बेदखल किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

प्रार्थीया द्वारा यह भी कथन किया है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीया की देखभाल नही करते है, ना ही प्रार्थीया को भोजन खाना आदि देते है एवं प्रार्थीया की तबीयत खराव होने पर उनका ईलाज भी नही करवाते है जबकि प्रार्थीया वृद्धावस्था जनित बीमारियों से ग्रसित है। चूंकि प्रार्थीया वर्तमान में वृद्धावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाती हैं, आय का पर्याप्त स्रोत नही होने के कारण प्रार्थीया अपनी सार–सभांल स्वयं करने में असमर्थ हैं। अतः न्यायहित में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थी नं0 1 व 3 को पाबंद किया जाता है कि वे वह अपनी माता को 2,500/–,2,500/– रूपये मासिक अर्थात 5,000/–रूपये मासिक भरण–पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण–पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हों।

उक्त निर्णय आज दिनांक 6/11/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा